अत्यावश्यक

पंचायत उप-निर्वाचन, 2023

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या - पं.नि. 30-17/2023 - 4135

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

पटना, दिनांक - 8.12.2023

विषय : पंचायत उप निर्वाचन, 2023 – बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 125 के अधीन निर्वाचन कर्तव्य हेतु स्टाफ की अध्यपेक्षा (requisition) तथा मतदान/मतगणना दलों के गठन एवं मतदान/मतगणना कर्मियों के प्रशिक्षण के संबंध में।

प्रसंग : आयोग का पत्रांक 4072 दिनांक 04.12.2023 एवं आयोग का पत्रांक 2734 दिनांक 22.07.2021 (पत्र संलग्न)

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा निर्गत पंचायत उप निर्वाचन, 2023 हेतु अधिसूचना के आलोक में आयोग के पत्रांक 4072 दिनांक 04.12.2023 द्वारा निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हेतु निदेश दिये गये हैं।

विदित है कि आयोग के प्रासंगिक पत्रांक 2734 दिनांक 22.07.2021 पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के निमित्त निर्वाचन कर्त्तव्य हेतु स्टाफ की अध्यपेक्षा (requisition) तथा मतदान/मतगणना दलों के गठन एवं मतदान/मतगणना कर्मियों के प्रशिक्षण के संबंध में विस्तृत निदेश देये गये थे।

उक्त पत्र के आलोक में पंचायत उप निर्वाचन, 2023 के अवसर पर भी मतदान दल एवं मतगणना दल का गठन एवं प्रशिक्षण का कार्य किया जायेगा।

चूँकि वर्तमान में पंचायत उप निर्वाचन सम्पन्न कराये जा रहे हैं, जिसमें सभी छः पदों का निर्वाचन किसी मतदान केन्द्र पर नहीं होना है इसलिए मतदान दल में पारम्परिक रूप से नियुक्त किये जाने वाले तरीके से यथा – पीठासीन पदाधिकारी, मतदान अधिकारी-1, मतदान पदाधिकारी-2, मतदान पदाधिकारी-3 A तथा मतदान पदाधिकारी - 3 B के अनुसार मतदान दल का गठन किया जाय।

स्पष्ट किया जाता है कि जिला में कार्यरत तकनीकी कर्मियों को ही मतदान पदाधिकारी -3B के रूप में प्रतिनियुक्त किया जायेगा, जिनके द्वारा मतदान के दिन से संबंधित `मतदान दिवस एप्प` का संचालन तथा मतदाता का सत्यापन हेतु मतदाता का फोटोग्राफी का कार्य किया जायेगा। वैसे तकनीकी कर्मी को प्राथमिकता दी जाय जिनका कार्य पूर्व के निर्वाचन में सराहनीय रहा है।

8.12.23

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई की जाये एवं तत्संबंधी निदेश से निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी के साथ-साथ सभी संबंधित को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

08/12/23

सचिव।

ज्ञापांक - पं०नि० 30-41/2016- 4135 पटना, दिनांक – 8.12.2023

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

08/12/23

सचिव।

ज्ञापांक -पं०नि० 30-41/2016- 4135 पटना, दिनांक - 8.12.2023

प्रतिलिपि श्री राजेश कुमार मिश्रा, उप महानिदेशक-सह-राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी , एन.आई.सी. (बिहार ईकाई) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/12/23

सचिव।

ज्ञापांक - पं०नि० 30-41/2016- 4135 पटना, दिनांक – 8.12.2023

प्रतिलिपि, सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/12/23

सचिव।

ज्ञापांक - पं०नि० 30-41/2016- 4135 पटना, दिनांक – 8.12.2023

प्रतिलिपि, अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/12/23

सचिव।